न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोक)

(सुश्री रजनी मीणा आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्या:– 156 / 2020
निर्णय दिनांक:– 24.11.2020

उनवान

हरबाई उर्फ चडी पुत्री गोपीलाल, पत्नी रामकिशन जाति गुर्जर निवासी ग्राम झुण्ड़वा तहसील उनियारा जिला टोंक –प्रार्थीया

बनाम

तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोक (राज0) – प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित:– 1. प्रार्थीया स्वयं
2.पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:–

यह कि प्रार्थीया के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 62 ख0न0 787 रकबा 0.77 है0 वाके ग्राम खातोली तहसील उनियारा मे स्थित है। प्रार्थीया नाम हरबाई उर्फ चडी पुत्री गोपीलाल, पत्नी रामकिशन जाति गुर्जर हैं जो कि प्रार्थी के आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र इत्यादि मे अंकित है। परन्तु राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे प्रार्थी का नाम सहवन से चडी पुत्री गोपीलाल अंकित कर दिया गया है, जबकि सही नाम हरबाई उर्फ चडी पुत्री गोपीलाल है तथा आधार कार्ड एवं पहचान पत्र के अनुसार प्रार्थीया बालिग हो चुकी है। जो सही किया जावें।

यह कि प्रार्थीया की अधियाचना है कि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 62 ख0न0 787 रकबा 0.77 है0 वाके ग्राम खातोली तहसील उनियारा मे प्रार्थीया का नाम चड़ी पुत्री गोपीलाल अंकित कर दिया गया है, जबकि सही नाम हरबाई उर्फ चडी पुत्री गोपीलाल अंकित करवाते हुये नाबालिग से बालिग राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का आदेश प्रदान करे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने परं दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

तहसीलदार उनियारा की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि खाता संख्या 62 ख0न0 787 रकबा 0.77 है0 वाके ग्राम खातोली तहसील उनियारा मे प्रार्थीया का नाम चडी पुत्री गोपीलाल दर्ज रिकार्ड है तथा चडी व हरबाई दोनो एक ही महिला के नाम है तथा इस नाम की कोई दुसरी महिला ग्राम झुण्डवा मे नही है एव संलग्न पहचान पत्र के आधार पर हरबाई पत्नी रामकिशन गुर्जर की आयु 46 वर्ष हो गई, वह बालिग हो गई हैं।

प्रार्थीया द्वारा स्वयं की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 62 ख0न0 787 रकबा 0.77 है0 वाके ग्राम खातोली तहसील उनियारा मे चडी पुत्री गोपीलाल खातेदार अंकित है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत छाया प्रति आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, ग्राम पंचायत ... पत्र में हरबाई पत्नी रामकिशन जाति गुर्जर अंकित है। सरपंच ग्राम पंचायत झूण्डवा प्रमाण ... के अनुसार चडी एवं हर बाई एक ही महिला के नाम है तथा तहसीलदार उनियारा एव ग्राम

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

विकास अधिकारी झूण्डवा की रिपोर्ट अनुसार इस नाम की झुण्डवा मे कोई दूसरी महिला नही है। संलग्न पहचान पत्र के आधार पर हरबाई पत्नी रामकिशन गुर्जर की आयु 46 वर्ष हो गई, वह बालिग हो गई हैं।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वह खाता संख्या 62 खसरा नं0 787 रकबा 0.77 हे0 वाके ग्राम खातोली तहसील उनियारा मे प्रार्थीया के नाम चडी पुत्री गोपीलाल के स्थान पर हरबाई उर्फ चडी पुत्री गोपीलाल तथा नाबालिग से बालिग अंकित कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करे।

यह निर्णय आज दिनांक 24.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी उनियारा